



The Uttar Pradesh Board For Development of Municipal Financial Resources  
Act, 2011

Act 11 of 2011

**Keyword(s):**

Board, Municipality, Municipal Act, Property Tax, Regulation

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मार्च, 2011  
फाल्गुन 27, 1932 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग

संख्या 346/79-वि-1-11-1(क)/14-2011  
लखनऊ, 18 मार्च, 2011

अधिसूचना  
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पर दिनांक 16 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और प्रारम्भ

	(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
	(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
परिभाषा	2-(1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,—
	(क) "बोर्ड" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से है;
	(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड का अध्यक्ष और उसके विभागाध्यक्ष से है;
	(ग) "सदस्य" का तात्पर्य पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य से है;
	(घ) "नगर पालिका" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के अधीन गठित किसी नगर निगम अथवा नगर पालिका परिषद अथवा किसी नगर पंचायत से है;
	(ङ) "नगर पालिका अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है;
	(च) "सम्पत्ति कर" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम के अधीन भूमि और भवनों पर उद्ग्रहीत सम्पत्ति कर से है;
	(छ) "विनियम" का तात्पर्य धारा-37 के अधीन बनाये गये विनियमों से है।
	(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।
अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना	3-धारा-4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक से, नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्ध अथवा इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी मामले से सम्बन्धित कोई अन्य विधि इस अधिनियम के उपबन्धों की सीमा तक उपांतरित हुए समझे जायेंगे।

## अध्याय—दो

### बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना	4-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना करेगी।
	(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा।
	(3) बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।
बोर्ड की संरचना	5-(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।
	(2) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 25 वर्षों से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव हो और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव अथवा उसके समकक्ष शहरी प्रशासन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखने वाले किसी अन्य पद को अवश्य धारित कर चुका हो।
	(3) सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।
	(4) बोर्ड ऐसे कर्तव्यों के प्रयोग और निर्वहन के लिए अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी रीति से जैसा कि विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक सचिव की नियुक्ति करेगा।

(5) अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेंगे और वेतन तथा भत्तों सहित उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तों ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं :

परन्तु यह कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या कोई सदस्य पद धारित नहीं करेंगे।

(6) नियुक्ति के पश्चात् अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(7) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।

(8) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(9) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, पद त्याग अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है अथवा जहाँ अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है, वहाँ इस हेतु अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य और ऐसे नाम निर्देशन की अनुपस्थिति में या जहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुना गया कोई सदस्य, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(10) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा, यदि वह/उसने :-

(क) दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया है; या

(ग) नैतिक अधमता से युक्त किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध और कारावास के लिए दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रभावित करने वाला हो; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस रूप में दुरुपयोग किया हो जिससे कि लोकहित में उसके पद पर बने रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(च) संसद या किसी राज्य विधान सभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी है; या

(छ) किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य है या रहा है अथवा उसमें कोई पद धारित किया है अथवा करता है।

(11) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य केवल अपने पद से सिद्ध कदाचार के आधार पर या उपधारा (10) के खण्ड (ख) खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष नियुक्त अधिकारियों में से तीन जॉच अधिकारियों के पैनल द्वारा राज्य सरकार द्वारा उनको किये गये संदर्भ पर की गयी जॉच और राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से सेवा से हटाने के लिए सूचित किया गया हो कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किन्हीं आधारों पर सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।

6--(1) मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पद धारण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, प्रतिज्ञान की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्तलिखित में अपना पद त्याग सकता है।

बोर्ड के कर्मचारी  
वृन्द

7-(1) बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों से ऐसे पद सृजित करेगा और ऐसे पदों पर ऐसी शीति से नियुक्तियां करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारीवृन्द का वेतन और भत्तों सहित सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विनियमावली में निर्धारित की जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ, बोर्ड किसी नगर पालिका के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में संदर्भित कर्मचारीवृन्द अध्यक्ष के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे जो उनका नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

संगठन

8-(1) बोर्ड तीन या चार शाखाओं यथा, प्रशासनिक शाखा, मूल्यांकन शाखा, और अनुसंधान तथा विश्लेषण क्रिया-कलाप शाखा और ऐसी अन्य शाखाओं में जो आवश्यक हो संगठित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड राज्य में समुचित कर्मचारीवृन्द युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतु बोर्ड समय-समय पर यथा अपेक्षित अपनी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर सकता है।

विधिमान्यकरण

9-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड के गठन में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने अथवा दोष के आधार मात्र पर ही बोर्ड की कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी अथवा प्रश्नगत नहीं की जायेगी।

#### अध्याय-तीन

#### बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और प्रक्रिया

बोर्ड के कृत्य

10-बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के भिन्न-भिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता का निर्धारण करना जिससे कि इसमें अभिवृद्धि की जा सके और ऐसे नये साधनों को भी सृजित किया जा सके।

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों को प्रगणित करना या प्रगणित कराना और एक डाटा बेस तैयार करना।

(ग) सम्पत्ति और जल कर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा नगर पालिकाओं की गैर कर मदों और कर की दरों हेतु उपयुक्त आधार सुझाना;

(घ) नगर पालिकाओं में सम्पत्तियों के मूल्यांकन, उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना तथा सूत्रपात करना;

(ङ) केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों और छूट प्राप्त सम्पत्तियों सहित राज्य की नगर पालिकाओं में समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या कराना;

(च) आवर्तिक पुनरीक्षण के लिए तौर तरीके संस्तुत करना;

(छ) सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करना;

(ज) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना के लिए मूल्यांकनों का सुलभ प्रकटीकरण करना;

(झ) राज्य सरकार के सरकारी गजट में वार्षिक कार्य योजना प्रकाशित करना;

(ञ) नगर पालिकाओं के लिए सम्पत्तियों के मूल्यांकन और नगर पालिका राजस्व की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सलाह देना जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यम से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

(ट) भूमि और भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता के विकास सहित प्रयोगकर्ता प्रमारों, संसाधन पैदा करने और उसके मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों को निष्पादित करना जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यमों से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

11-राज्य के भीतर बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे और विनियमावली के अनुरूप इस निमित्त बनायी गयी, अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

बोर्ड की कार्यवाहियां

12-(1) जब बोर्ड से कोई सूचना, विवरणी, विवरण, अभिलेख, दस्तावेज या रजिस्टर या कोई अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाय, तो नगर पालिका उसे इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपलब्ध करायेगा।

नगर पालिका का उत्तरदायित्व

(2) जब बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाय तो इसके कृत्यों के निष्पादन के लिए कोई नगर पालिका बोर्ड का पूर्णरूपेण सहयोग और सहायता करेगी।

(3) जहाँ कोई नगर पालिका उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निदेश का अनुपालन करने में किसी भी कारण से असफल रहती है, वहाँ बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा उस नगर पालिका को न्यागत किये जाने वाले वित्तीय अन्तरणों के एक भाग को, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत से अधिक न हो, दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए रोकने के लिए उस नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। यदि नगर पालिका तब भी इस सम्बन्ध में संतोषजनक आश्वासन देने या उसे उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी रोक की संस्तुति कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार उक्त अवधि के लिए ऐसे वित्तीय अन्तरणों को रोक लेगी।

परन्तु जहाँ नगर पालिका बाद में ऐसे निदेश का अनुपालन करती है, वहाँ राज्य सरकार ऐसे अनुपालन से संतुष्ट हो जाने पर इस प्रकार रोकें गये वित्तीय अन्तरणों को अवमुक्त कर देगी।

13-(1) किसी भूमि अथवा भवन का प्रत्येक स्वामी अथवा अधिभोगी बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जैसा कि विहित किया जाय, विवरण दाखिल करेगा।

विवरण दाखिल करने और देनदारों को प्रकट करने का दायित्व

(2) बोर्ड, सामान्य या विनिर्दिष्ट संसूचना द्वारा किसी नगर पालिका के निवासी से निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी सूचना और विवरण जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षा कर सकता है:-

(क) क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम या किसी नगर पालिका अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अधिरोपित कर या किसी प्रभार या किसी शुल्क का भुगतान करने का दायी है;

(ख) किस धनराशि पर उसका मूल्यांकन किया जाय;

(ग) उसके द्वारा अधिभुक्त भवन या भूमि का वार्षिक मूल्य और स्वामी का नाम और पता;

(घ) कोई अन्य सूचना जो उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने या कर, प्रभार या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए आवश्यक हो।

14-ऐसा कोई व्यक्ति, जो-

अपराध एवं शास्तियाँ

(एक) यथा अपेक्षित विवरण दाखिल करने में विफल रहता है; या

(दो) मांगी गयी सूचना और विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और जब अपराध निरन्तर जारी हो, ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा जो प्रतिदिन पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।

अपराधों का प्रशमन

15-(1) बोर्ड ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध किये जाने की युक्तियुक्तपूर्वक आशंका हो, प्रशमन शुल्क के रूप में बीस हजार रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध को प्रशमित कर सकता है;

(2) किसी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या निरन्तर जारी नहीं रखी जायेगी और यदि उसके विरुद्ध उस अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही पहले ही निषिद्ध कर दी गयी हो तो प्रशमन स्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया जायेगा।

अपराध का सज़ान

16-कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय किसी अपराध का सज़ान नहीं लेगा।

मूल्यांकन का  
अवधारण और  
उसकी अवधि

17-(1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा उस नगर पालिका को विनिर्दिष्ट करेगी जहाँ यथास्थिति नगर पालिका अधिनियमों अथवा ऐसी नगर पालिका में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों, जहाँ तक वे वार्षिक मूल्यांकन के अवधारण से सम्बन्धित हों, के अनुसार भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जायेगा:

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसी शर्तों, जैसा, कि विहित किया जाय, के अधधीन अपने अधीक्षण, निदेश और नियंत्रणाधीन ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर जैसा कि वह अवधारित करे, यथापूर्वोक्त रूप में नगर पालिका में भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मूल्यांकन को बोर्ड द्वारा किया गया समझा जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे दिनांक से प्रभावी हो जायेगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे और वह ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा तथा इसके पश्चात् उसे पाँच वर्षों की कमिक अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षित किया जायेगा:

परन्तु यह कि किसी नगर पालिका में भूमि या भवन का मूल्यांकन नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अवधि के दौरान किसी नये भवन का परिनिर्माण किया जाता है या नगर पालिका के किसी क्षेत्र में किसी विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण किया जाता है या इसका मौलिक रूप से बदलाव या उसमें सुधार किया जाता है तो ऐसे परिसरों के मूल्यांकन का अवधारण उसी मानदण्ड के अधधीन किया जायेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा ऐसे परिसरों के निमित्त नियत किया गया है और इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया वही होगी जैसा कि स्वामी या अधिभोगी द्वारा विशिष्टियों का पूर्ववर्ती अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने पर तात्कालिक मूल्यांकन का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाय।

(4) नगर पालिका ऐसे समय, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बोर्ड को अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत परिनिर्मित समस्त नये भवनों की सूची और निर्मित या मौलिक रूप से परिवर्तित या सुधार किये गये समस्त विद्यमान भवनों की भी सूची प्रेषित करेगा।

(5) सम्पत्तियों का नामान्तरण नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियमों या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा किन्तु सम्बन्धित अभिलेख सहित नामान्तरण की सूचना, बोर्ड को नामान्तरण करने वाले अधिकारी द्वारा नामान्तरण के सात दिन के अन्तर्गत दी जाएगी।

प्रस्तावित मूल्यांकन  
सूची का प्रकाशन

18-(1) जब किसी नगर पालिका की भूमि और भवनों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा कर लिया जाय तो वह ऐसी मूल्यांकन सूची तैयार करायेगा और सम्पत्ति कर एवं अन्य करों की धनराशि सूची में दर्ज करायेगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची को प्रकाशित करेगा और ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के प्रति आपत्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जा सके।

(3) आपत्तियाँ ऐसी शीति से दाखिल की जा सकती हैं जैसा कि विहित किया जाय।

19-धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक की समाप्ति के पश्चात् और तत्पश्चात् ऐसी अवधि, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में किसी प्रकार की आपत्ति का अवधारण, आवेदक को ऐसे व्यक्तियों, जैसा कि इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, किया जायेगा।

मूल्यांकन पर आपत्तियों की सुनवाई

20-जब धारा 19 के अधीन आपत्तियों, यदि कोई हों का निरतारण कर लिया जाय तो बोर्ड एक अन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार करेगा और ऐसे स्थान/स्थानों जहाँ पर ऐसी सूची का निरीक्षण किया जाय, के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना देगा और अन्तिम मूल्यांकन सूची में उस पर यथाअभिलिखित सम्पत्ति कर की धनराशि का मूल्यांकन अन्तिम होगा और किसी आपत्ति की पुनः सुनवाई नहीं होगी।

अन्तिम मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

21-धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, किसी स्वामी या अधिमोगी या नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर या स्वप्रेरणा से और तदनिमित्त कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् पूर्व में किये गये किसी मूल्यांकन को पुनरीक्षित कर सकता है।

मूल्यांकन का पुनरीक्षण

22-बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान ऐसे किसी दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करती हो :-

बोर्ड की शक्ति...

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना और उसको उपस्थिति के लिए विवश करना और उसका शपथपूर्वक परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) परिसर का निरीक्षण करने तथा साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना;

(च) ऐसे अन्य मामले, जैसे कि विहित किये जाय;

23-राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

निदेश जारी करने की शक्ति

24-बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी परिसर में इस रीति से प्रवेश कर सकता है या उसमें दाखिल हो सकता है जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विहित किया जाय।

भूमि या भवन में प्रवेश और उसके निरीक्षण की शक्ति

25-इस अधिनियम के अधीन किया गया काइ आदश या कायवाहा अपाल किये जाने योग्य नहीं होगी और किसी दीवानी न्यायालय के पास ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी जिसके लिये बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिश्चय करने के लिए अधिकार प्राप्त हो।

अधिकारिता का वर्जन

#### अध्याय-चार

#### लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

26-(1)राज्य सरकार इस निमित्त विधि के माध्यम से राज्य विधान मण्डल द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु उचित समझे।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान

(2) बोर्ड ऐसी धनराशि को व्यय कर सकता है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिये उचित समझे, और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा और वह बोर्ड के व्यय के निमित्त नगर पालिकाओं और अन्य से शुल्क भी प्रभारित कर सकता है।



लेखा और लेखा परीक्षा

27-(1) बोर्ड समुचित लेखा और सुसंगत अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और वार्षिक लेखा विवरण यथाविहित रूप में तैयार करायेगा।

(2) धारा 26 के अधीन अनुदानों से भिन्न स्रोतों से पुनरीक्षण का विनियमन निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा किया जायेगा।

(3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कि व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा महालेखाकार को किया जायेगा।

(4) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरण की प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड की वार्षिक लेखा विवरण की प्रति को राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

28-(1) बोर्ड वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र जैसा कि विहित किया जाय, तैयार करेगा और उसकी प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(2) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

बोर्ड को देय धनराशि की वसूली

29-(1)-यदि धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी नगर पालिका से बोर्ड को देय धनराशि का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो बोर्ड उक्त मामलों को राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है और राज्य सरकार बोर्ड को उक्त धनराशि का भुगतान कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को संदेय किन्ही वित्तीय अन्तरणों से उक्त धनराशि की कटौती करने के पश्चात् भुगतान कर सकती है।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना बोर्ड को संदेय किसी धनराशि की वसूली बोर्ड के सचिव के प्रमाण-पत्र के आधार पर भूराजस्व के रूप में की जा सकती है।

आकस्मिक व्यय सहित वेतन और भत्तों के आधार पर उपगत व्यय

30-बोर्ड द्वारा बैठक हेतु उपगत व्यय, अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और बोर्ड के अधीन या उसके लिये कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक व्यय सहित वेतन और भत्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में से किया जायेगा।

### अध्याय-पाँच

#### प्रकीर्ण

बोर्ड द्वारा शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन

31-बोर्ड अपने संकल्प द्वारा वित्तीय शक्ति सहित अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन धारा-7, 8 और 37 के शक्तियों के सिवाय, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या बोर्ड के किसी अधिकारी को कर सकता है।

अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे

32-बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक माने जायेंगे।

सदभावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति सुरक्षा

33-इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

मूल्यांकनकर्ताओं और सर्वेक्षकों का पंजीकरण

34-बोर्ड ऐसी अर्हता और प्रभारों सहित निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, के अधीन किसी व्यक्ति को मूल्यांकनकर्ता या सर्वेक्षक के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

35-बोर्ड के लिये जारी किये जाने या उसके तामील किये जाने के लिये अपेक्षित या आशयित समस्त नोटिसों और प्रक्रियाओं को बोर्ड के सचिव को तामील कराया जायेगा।

नोटिस इत्यादि का तामील किया जाना

36-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार ऐसे किसी भागलें, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो अपेक्षित या विहित हों, के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियमों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

37-(1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) राज्य सरकार ऐसा अनुमोदन देते समय उनमें ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन और उपान्तरण कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु यह कि ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन या उपान्तरण करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को दो माह से अनधिक की ऐसी अवधि, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, के भीतर उस पर विचार करने के लिए अवसर प्रदान करेगी।

(3) बोर्ड द्वारा बनाये गये और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये समस्त विनियमों का प्रकाशन गजट में किया जायेगा।

38-(1) यदि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमन के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार जैसी परिस्थिति हो, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो इस आदेश के दिनांक के बाद बारह मास से अधिक न हो, ऐसे अनुकूलनों चाहे रूपान्तर व परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, के अधीन रहते हुये जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, प्रभावी रहेगा:

कठिनाइयों दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के पश्चात् प्रशासक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश को किसी न्यायालय में इस प्राधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि ऐसी कोई कठिनाई जैसा कि उस उपधारा में निर्दिष्ट हो, विद्यमान नहीं थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

### उद्देश्य और कारण

भारत के 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका संसाधन विकास बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष, चार अन्य सदस्य और एक पदेन सदस्य होंगे, की स्थापना और उसके निगमन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय। बोर्ड के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का मूल्यांकन करना जिससे कि इसमें वृद्धि की जा सके और ऐसे नए स्रोतों का भी सृजन किया जा सके ;

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों की गणना करना या गणना कराना और एक डाटाबेस विकसित करना ;

(ग) सम्पत्ति और जलकर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों का मूल्यांकन तथा कर की दरों और करेत्तर गदों के लिए उपयुक्त आधार सुझाना ;

(घ) सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना और सूत्रपात करना ;

(ङ) सम्पत्ति कर विवादों का न्याय-निर्णयन करना ;

(च) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना करने के लिए मूल्यांकनों के प्रकटीकरण को सुगम बनाना।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
के० के० शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

No. 346(2)/LXXIX-V-1-11-1(ka)14-2011

Dated Lucknow, March 18, 2011

### NOTIFICATION

#### MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the (Uttar Pradesh Nagar Palika Vittiya Sansodhan Vikas Board Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2011) as passed by Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 2011:-

#### THE UTTAR PRADESH BOARD FOR DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES ACT, 2011

(U.P Act no. 11 of 2011)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources and the matters connected herewith or incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :-

#### CHAPTER-I

#### Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Board" means the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board and the Head of the Department thereof;

(c) "Member" means a member of the Board other than *ex-officio* member;

(d) "Municipality" means a Municipal Corporation or Municipal Council or a Nagar Panchayat, constituted under clause (1) of Article 243-Q. of the Constitution of India;

(e) "Municipal Act" means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916;

(f) "Property tax" means the property tax on lands and buildings levied under the Municipal Act;

(g) "Regulation" means regulations made under section 37.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Municipal Acts.

3. With effect from the date of notification referred to in sub-section (1) of section 4, the provisions of the Municipal Acts, or any other law relating to any of the matters provided for in this Act shall be deemed to have been modified to the extent of the provisions of this Act.

Act to override other laws

## CHAPTER-II

### Establishment of The Board

4. (1) The State Government shall, by notification, establish a Board to be called the Uttar Pradesh Board for the Development of Municipal Financial Resources.

Establishment of the Board

(2) The Board shall be a body corporate.

(3) The head office of the Board shall be at Lucknow.

5. (1) The Board shall consist of a Chairperson and 4 other Members and the Director Local Bodies Uttar Pradesh shall be *ex-officio* member of the Board.

Composition of the Board

(2) The Chairperson shall be a person with administrative experience of not less than 25 years and must have held the post of Chief Secretary of the State Government or the Secretary to the Government of India or any other post equivalent thereto having experience of departments related to urban administration.

(3) The Members shall be the persons having special knowledge and experience in the fields of municipal administration, finance and accounts, valuation of urban properties, State Laws including municipal laws or civil engineering or as the State Government may determine, and must have at least 25 years of experience in relevant field and held the post of at least the Secretary to the State Government or equivalent thereto.

(4) The Board shall appoint a Secretary to exercise and perform such duties, under the control of the Chairperson, in such manner as may be specified by regulations.

(5) The Chairperson and the Members of the Board shall hold office for a period of five years from the date he enters upon his office and the terms and conditions of their service, including salaries and allowances, shall be such as may be prescribed :

Provided that the Chairperson or a Member shall not hold office after he has attained the age of sixty five years.

(6) The salary, allowances and other conditions of services of Chairperson and Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

(7) The Chairperson or any Member of the Board shall not hold any other office during the tenure thereof as such.

(8) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Board.

(9) Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness, death, resignation or any other cause or where any vacancy occurs in the office of the Chairperson, a Member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by Members present from amongst themselves, shall exercise the powers and discharge the duties of the Chairperson.

(10) A person shall be disqualified for appointment as the Chairperson or a Member, if he:-

- (a) has been adjudged as insolvent; or
- (b) has become physically or mentally incapable of acting; or
- (c) has been convicted and sentenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect his functions as the Chairperson or a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in the office pre-judicial to the public interest; or
- (f) is a Member of Parliament, or any State Legislature or any local authority or is a candidate for election thereto; or
- (g) is or has been an active Member of a political party or has held or holds a post therein.

(11) The Chairperson or a Member shall only be removed from his office by the State Government on the grounds of proved misbehavior or on the grounds specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of sub-section (10) after a panel of three enquiry officers appointed, from amongst officers equivalent to Chief Secretary to the State Government, for this purpose, on a reference made to them by the State Government, has, on enquiry, held by the panel and in consultation with the leader of opposition of the State Legislative Assembly, reported that the Chairperson or the Member ought to, on any such grounds be removed.

Appointment of  
Chairperson and  
Members

6. (1) The Governor shall, appoint a person, on the advice of the Chief Minister, as the Chairperson and the Members of the Board.

(2) The person appointed under sub-section (1) shall, before entering upon the office, make and subscribe before the Governor or any person nominated by him an oath of affirmation in such form as may be prescribed.

(3) The person appointed under sub-section (1) may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

(4) The person appointed under sub-section (1) may be removed from office in such manner as may be prescribed.

Staff of the Board

7. (1) The Board may with the approval of the State Government, create such posts of officers and employees of the Board and make appointments on such post in such manner as may be prescribed.

(2) The terms and conditions of service including salaries and allowances of the staff appointed under sub-section (1) shall be such as may be laid down in the regulations.

(3) For the purposes of carrying out its functions under this Act, the Board may requisition the services of any officer or employee of a municipality.

(4) The staff referred to in sub-section (1) shall be under the administrative and disciplinary control of the Chairperson who shall be the appointing authority thereof.

Organization

8. (1) The Board may be organized into three or more wings viz: Administrative wing, Valuation wing and Research and Analysis activities wing and such other wings as may be needed.

(2) The Board may establish regional offices in the State with appropriate staff with the prior approval of the State Government.

(3) The Board may reorganize its wings and regional offices from time to time as required to implement the provisions of this Act.

9. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, no action of the Board shall be invalid or otherwise called in question merely on the ground of the existence of any vacancy or defects in the constitution of the Board.

Validation

CHAPTER-III

**Powers, Functions and Procedures of the Board**

10. The functions of the Board shall be -

Functions of the Board

(a) to review the fiscal strength of various municipalities and assess the efficiency of different sources of revenue so as to enhance it and also to create new such sources;

(b) to enumerate, or cause to enumerate, all properties in the municipalities in the State and develop a data-base;

(c) to review the property and water tax and other revenue resource systems and suggest suitable basis for valuation of properties and rates of tax and non tax items of municipalities;

(d) to design and formulate transparent procedure for valuation of properties, inspection for their verification in municipalities;

(e) to undertake valuation or cause valuation of all properties in the Municipalities in the state including central, state or local body properties and exempted properties;

(f) to recommend modalities for periodic revision;

(g) to adjudicate property tax disputes;

(h) to ensure transparency in valuation process and facilitate disclosure of valuations for fair comparison;

(i) to publish the annual work plan in the official *Gazette* of the State Government;

(j) to give such advice on valuation of properties and enhancement of Municipal Revenue to Municipalities, as the State Government may, from time to time, require it to do or on the request of Municipalities by means of resolution ;

(k) to discharge such other functions in the field of user charges, resource generation and valuation therefor including development of expertise in valuation of land and building, as the State Government may, from time to time, require it to do or on the request of municipalities by means of resolution.

11. The Board shall meet at such time and place within the State as the Chairperson may think fit and shall regulate its own procedure consistent with regulations that may be framed in this behalf.

Proceedings of the Board

12. (1) When called upon, by the Board, to furnish any information, return, particulars, records, documents or registers or any other material, the municipality shall furnish the same within the time specified in this regard.

Responsibility of Municipality

(2) When called upon by the Board, a municipality shall fully cooperate with and assist the Board to perform its functions.

(3) Where a municipality fails, for whatever reason, to comply with any direction under sub-section (1) or sub-section (2) the Board may issue a show cause notice to the municipality for withholding, for a period not exceeding two years, a part of the financial transfers, not exceeding thirty per cent of its annual value during the preceding financial year, to be devolved by the State Government to that municipality. If the municipality still fails to comply with or fails to furnish a satisfactory guarantee in this regard, the Board may recommend such withholding to the State Government, where upon the State Government shall withhold such financial transfers for said period;

Provided that where the municipality, subsequently, complies with direction, the State Government shall release the financial transfers so withheld, on being satisfied with such compliance.

Obligation to file statement and disclose liability

13. (1) Every owner or occupant of any land or building shall file a statement before the Board or any Person authorized by it in this behalf, in such manner and within such time, specifying such particulars, as may be prescribed.

(2) The Board may, by general or specific communication, call upon an inhabitant of a municipality to furnish such information and particulars as may be specified, in order to ascertain-

(a) whether such inhabitant is liable to pay a tax imposed or a charge or a fee under this Act or any Municipal Act or rules or regulations made thereunder;

(b) at what amount he should be assessed;

(c) the annual value of the building or land which he occupied and the name and address of the owner;

(d) any other information that may be necessary for carrying out its functions, or levy of the tax, charge or fee.

Offences and Penalties

14. Any person who –

(i) fails to file the statement as required; or

(ii) fails to furnish the information and particulars called upon, shall be guilty of an offence and shall be punishable with fine which may extend to rupees ten thousand and when the offence is a continuing one, with a fine which may extend to rupees five hundred per day.

Composition of offences

15. (1) The Board may accept from a person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Act, a sum of money not exceeding twenty thousand by way of composition fee and compound the offence.

(2) On the composition of any offence, no proceedings shall be taken or continued against the person in respect of such offence, and if any proceeding in respect of that offence have already been inhibited against him, the composition shall have the effect of his acquittal.

Cognizance of offences

16. No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing of an officer authorized in this behalf by the Board.

Determination of valuation and its duration

17. (1) The State Government shall, from time to time, by notification, specify the municipality where the general valuation of lands and buildings shall be made by the Board, in accordance with the provisions of Municipal Acts or any other law for the time being in force in such municipality, as the case may be, in so far as they relate to determination of annual valuation :

Provided that the Board may cause to be made, subject to such conditions as may be prescribed, the general valuation of lands and buildings in the municipality, as aforesaid, under its superintendence, direction and control on payment of such remuneration as it may determine, and every such valuation shall be deemed to have been made by the Board.

(2) The valuation made by the Board shall become operative with effect from such date, as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and shall remain in force in respect of such area for a period of five years and be revised thereafter at the termination of successive period of five years :

Provided that the valuation of land or building in any municipality shall be made in accordance with the provisions of the Municipal Acts.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) if, during the currency of any period referred to in sub-section (2) any new building is erected, or any existing building is reconstructed or substantially altered or improved in any area of municipality, the determination of valuation of such premises shall be subject to the same criteria as has been fixed by the Board for such premises, and its valuation shall be covered by such procedure as may be determined by the Board for its immediate valuation with prior mandatory filing of statement of particulars by the owner or occupier.

(4) The Municipality shall and within such time, as may be prescribed, send to the Board list of all new buildings erected and also all existing buildings reconstructed or substantially altered or improved within its jurisdiction.

(5) The mutation of properties shall be made by the municipality as per provisions of Municipal Acts, or rules made thereunder but the information of mutation with concerned record shall be given to the Board by the mutating officer within seven days of mutation.

18. (1) When the valuation of the land and buildings of any Municipality has been completed by the Board shall cause such valuation list and the amount of property tax or other taxes thereon to be entered in a list.

Publication of proposed valuation list

(2) The Board shall publish the proposed valuation list, prepared under sub-section (1) and shall specify a date within which an application for objection to the proposed valuation list may be filed.

(3) The objections may be filed in such manner as may be prescribed.

19. After the expiry of the date specified in sub-section (2) of section 18 and within such period thereafter as may be prescribed, the objection of any entry in the proposed valuation list shall be determined after giving the applicant an opportunity of being heard, by such persons as may be authorized in this behalf.

Hearing of objections on valuation

20. When the objections, if any, have been disposed off under section 19, the Board shall prepare a final valuation list and shall give public notice of the place or places where such list may be inspected and the valuation together with the amount of property tax thereon as recorded in the final valuation list shall be conclusive and no objection shall be reheard.

Publication of final valuation list

21. Notwithstanding anything contained in section 20, the Board may at any time on an application filed by an owner or occupier or by the municipality or *suo moto*; and after recording the reasons therefore, review any valuation made earlier.

Review of valuation

22. The Board while performing its functions under this Act, shall have the powers of a civil court trying a suit in respect of the following matters –

Powers of the Board

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copy thereof;

(e) issuing commissions for inspection of premises and examination of witness and documents;

(f) such other matters as may be prescribed.

23. The State Government may from time to time issue directions not inconsistent with this Act.

Powers to issue directions

24. A person, authorized by the Board in this behalf, may enter into or upon a premises in such manner as may be prescribed, for carrying out the purposes of this Act.

Power of entry and inspection into land or building



Bar of jurisdiction

25. No order or proceeding made under this Act shall be appealable and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Board is empowered by or under this Act to decide.

## CHAPTER-IV

**Accounts, Audit and Report**

Grants by the State Government to the Board

26. (1) The State Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Board, by way of grants, such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Board may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1) and may also charge fee from municipalities and others towards expenditure of the Board.

Accounts and audit

27. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) Review from sources other than grants under section 26 shall be regulated by regulations made in this behalf.

(3) The accounts of the Board shall be audited by the Accountant General, Uttar Pradesh, or any other officer authorized by him in this behalf at such intervals as may be specified by State Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Board to the Accountant General.

(4) Copies of annual statement of accounts of the Board together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government.

(5) A copy of the annual statement of accounts of the Board together with the audit report received by the State Government under sub-section (4) shall be laid before each House of the State Legislature.

Annual Report

28. (1) The Board shall prepare an Annual Report of its activities during the year, in such form as may be prescribed and copies thereof shall be forwarded to the State Government.

(2) The State Government, shall cause the annual report to be laid before each House of the State Legislature.

Recovery of amount due to the Board

29. (1) If the amount due to the Board from a municipality under sub-section (2) of section 26 is not paid within specified time, the Board may refer the matter to the State Government and the State Government may pay the amount to the Board and deduct or pay after deducting the same from any financial transfers payable by the State Government to the municipality.

(2) Without prejudice to sub-section (1), any amount payable to the Board, may, on a certificate of the Secretary of the Board, be recovered as arrears of land revenue.

Expenditure incurred on account of salaries and allowances including contingencies

30. The expenditure incurred by the Board for meeting, the salaries and allowances, including contingencies, of the Chairperson, Members, Secretary, officers and employees serving under or for the Board shall be paid out of the grant to be provided by the State Government.

CHAPTER-V

Miscellaneous

31. The Board may delegate any of its powers and functions including financial power, by a resolution adopted by it to the Chairperson, Member, Secretary or any officer of the Board except the powers under sections 7, 8 and 37. Delegation of Powers and Functions by Board
32. The Chairperson, Member, Secretary and other officers and employees of the Board shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. Chairperson, Members, officers and employees to be Public Servants
33. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules or the regulation or the orders made thereunder. Protection of action taken in good faith
34. The Board may register a person as a valuer or surveyor subject to such qualification and terms and conditions, including charges, as may be determined by regulations. Registration of Valuers and Surveyors
35. All notices and processes required or sought to be issued to or served on the Board shall be served on the Secretary of the Board. Service of notices etc.
36. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the forgoing powers the State Government may make rules relating to any matter not inconsistent with the provisions of this Act which is required to be or may be prescribed.
- (3) All rules made by the State Government shall be published in the *Gazette*.
37. (1) The Board may, with the prior approval of the State Government, make regulations, consistent with the provisions of this Act, and the rules made thereunder, for carrying out the purposes of this Act. Power to make Regulations
- (2) The State Government may, in according such approval, make such additions, alterations and modifications therein as it thinks fit:
- Provided that before making such additions, alterations or modifications the State Government shall give the Board an opportunity to express its views thereon within such period not exceeding two months as may be specified by the State Government.
- (3) All regulations made by the Board and approved by the State Government shall be published in the *Gazette*.
38. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, by reasons of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the State Government may, as the occasion requires, by order direct that this Act shall, during a period not exceeding twelve months after the date of such order have effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient : Power to remove difficulties
- Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.
- (3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendations of the 13th Finance Commission of India it has been decided to make law to provide for establishment and incorporation of the Uttar Pradesh Board for development of municipal Resources consisting of the Chairperson, four other members and one *ex-officio* member. The main functions of the Board shall be,-

- (a) to review the fiscal strength of various municipalities and assess the efficiency of different sources of revenue so as to enhance it and also to create new such sources ;
- (b) to enumerate, or cause to enumerate, all properties in the municipalities in the State and develop a data base ;
- (c) to review the property and water tax and other revenue resource, systems and suggest suitable basis for valuation of properties and rates of tax and non-tax items of municipalities ;
- (d) to design and formulate transparent procedure for valuation of properties ;
- (e) to adjudicate property tax disputes ;
- (f) to ensure transparency in valuation process and facilitate disclosure of valuations for fair comparison.

The Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,  
K.K. SHARMA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1294 राजपत्र(हि०)-2011-(2612)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 198 सा० विधायी-2011-(2613)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।